

# DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

डुमरुडुडुडु नगरपालिका अधिनियम-2011 को धारा 13.2.1 के अन्तर्गत स्व-निर्धारित करि नये सम्बन्धी कर की सूचना।

Memo No. : 149144181218014248

Date : 18-12-2018

प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री URMILA DEVI ,

सोहल्ला POLYTECHNIC ROAD NEAR BARAMURI KHATAL DHANBAD DHANBAD , 9835146069  
DHANBAD , 826001

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह स - 0200002337000M0 वाड स. 20 हुआ है, आपके स्व निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है।

इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1	गृह कर	174.00
2	जल कर	0.00
3	शीचालय कर	0.00
4	बिजली कर	0.00
5	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		174.00



[Blank box for signature]

To be signed by the Applicant

नोट -

1. कर निर्धारण की सूची DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website [www.barkhandisuda.org](http://www.barkhandisuda.org) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कडिका 11.4 के अन्तर्गत से वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जावेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। विवरण दी जाती है कि वर्षा जल संरक्षण सुरक्षा लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से रहल पायें।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति कर का भुगतान वैधानिक ढंग होगा।
4. यदि किसी वर्ष के अतिरिक्त सम्पत्ति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 दिन के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय धुनि को लिखित सम्पत्ति (प्रत्येक तिमाही) के अन्तर्गत उसका पूरा नहीं भुगतान जाता है, तो 1% प्रतिमाह के दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण पत्र की सूची घोषणा के आधार पर की जा रही है। इस स्व-निर्धारण-स्व-घोषणा पत्र के रशानीय जांच तथा मजबूत निगम करा सकती है एवं तबसे रहल पायें जान पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शर्तित (Fines) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा स्व-निर्धारित कर सम्पत्ति कर डूज इंगरता तथा को कोई कायसी है विस्तृत जानकारी वाली करदाता है और कर जहाँ से सूचित साधिकाएँ टाहाकर का काउ अन्तर्गत अतिरिक्त प्रदान करदाता है।
8. अगर आपके नये धारित नैता कर अतिरिक्त अंक 5.5/7.5 है तो यह लिखित सूचना जो की श्रेणी के अन्तर्गत माना जावेगा।

**NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.**